उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-27/2018/706/30-3-18-32एम/2013टी0सी0
लखनऊ, दिनॉक 19 मार्च, 2018

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या-39/1571/30-3-14-32एम/2013टीसी, दिनॉक 16-06-2014 (प्रति संलग्न) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। तत्क्रम में श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित महानुभावों को सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1-	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
2-	प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम	सदस्य
3-	प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4-	प्रमुख सचिव, मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5-	प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6-	प्रमुख सचिव, आवास विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7-	प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8-	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0पी0 औद्योगिक एक्सप्रेस-वे डेवलपमेंट अथॉरिटी	सदस्य
10-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण।	सदस्य
11-	क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्वी/पश्चिमी), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।	सदस्य

2- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या-39/1571/30-3-14-32एम/2013टीसी, दिनॉक 16-06-2014 में दिये गये निर्देश व कार्य यथावत रहेंगे।

ह0/-
आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

संख्या-27/2018/706(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2- परिषद में सदस्य के रूप में सम्मिलित मा0 मंत्रीगण के निजी सचिवगण।
3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- सचिव, भारत सरकार, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 01 परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6- प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- प्रमुख सचिव, आवास विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
16- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
18- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
19- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
20- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
21- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
22- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
23- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
24- निदेशक, यातायात, उत्तर प्रदेश।
25- मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 3/248, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
26- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ।
27- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0पी0 औद्योगिक एक्सप्रेस-वे डेवलपमेंट अथॉरिटी।
28- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण।
29- क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्वी/पश्चिमी), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
30- इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के राज्य स्तरीय अध्यक्ष।
31- निदेशक, आईआईटी, कानपुर।
32- राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि।
33- समस्त उप परिवहन आयुक्त/सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
34- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि।
35- ट्रक एवं सवारी वाहनों से सम्बन्धित एसोसिएशनों के प्रतिनिधि।
36- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने तथा मुद्रित/प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियॉ शासन के परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
37- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।